

संदर्भ संख्या: पावरग्रिड/उ.क्षे.1/आर. टी. आई./2228/ 92

दिनांक: 14.06.2023

सेवा में,

श्रीमति सुशीला देवी,  
पत्नी - श्री रामजीलाल, निवासी - ग्राम + पोस्ट - फतेहपुर,  
तहसील-बानसूर, जिला-अलवर, राजस्थान-301402  
(मो. न. 7688961679)


विषय : आपके आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 25.05.2023 एवं 03.06.2023 के संदर्भ में ।

महोदया,

आपके आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 25.05.2023 एवं 03.06.2023 के संदर्भ में आपने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जानकारी चाही है, के संदर्भ में मांगी गई सूचना बिंदुवार निम्नांकित है:

बिंदु न.	मांगी गई सूचनाओं की प्रकृति / विषयवस्तु	अभीष्ट सूचनाओं के संदर्भ में PASTL अलवर द्वारा दी गई जानकारी
1.	सीकर से अलीगढ़ 765 के वी के हाई टेंशन लाइन के Out of Conductor से कितने दूरी पर आए बोरवेल की मुआवजा राशि दी जाती है एवं दूरी कैसे मापी जाती है ?	<p>आपको यह सूचित किया जाता है कि ट्रांसमिशन लाइन में टॉवर निर्माण कार्य के पश्चात कन्डक्टर के नीचे पड़ने वाले बोरवेल का मुआवजा Public Health Engineering Department के मूल्यांकन उपांत एवं पावरग्रिड जांच समिति की अनुशंसा के पश्चात ही निर्गत किया जाता है ।</p> <p>765 के.वी. अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लाइन के बाह्य-बॉटम कन्डक्टर के अधिकतम <b>तीन मीटर</b> की सीमा में आने वाले चालू/पूर्णतः कार्यात्मक बोरवेल का ही मुआवजा उपरोक्तानुसार देने का प्रावधान है ।</p> <p>लाइन के अंतर्गत पड़ने वाले प्रभावी बोरवेल को चिन्हित करके उनकी दूरी या स्थिति टोटल स्टेशन यंत्र या अन्य दूरी मापक यंत्र से की जाती है ।</p>
2.	श्रीमति सुशीला देवी पत्नी श्री रामजी लाल टावर संख्या 134/0 की बोरवेल क्यों निरस्त हुआ ?	श्रीमति सुशीला देवी, पत्नी श्री रामजी लाल, टावर संख्या -134/0 का बोरवेल लाइन के बाह्य कन्डक्टर से तीन मीटर से अधिक दूरी पर पाया गया इसलिये आपके बोरवेल को निरस्त किया गया ।

...2



3.	सीकर से अलीगढ़ 765 के वी के हाई टेंशन लाइन के Out of Conductor से कितने दूरी पर एवं middle of conductor से कितनी दूरी पर मुआवजा राशि दी जाती है ?	765 केवी अलीगढ़-सीकर ट्रांसमिशन लाइन के बाह्य बॉटम कन्डक्टर से अधिकतम तीन मीटर की सीमा में आने वाले चालू/पूर्णतः कार्यात्मक बोरवेल का ही मुआवजा Public Health Engineering Department के मूल्यांकन उप्रांत एवं पावरग्रिड जांच समिति की अनुशंसा के पश्चात देने का प्रावधान है ।
----	---	---

**अपीलीय प्राधिकारी का विवरण**

श्री ए.के. मिश्रा, कार्यकारी निदेशक (उ. क्षे.1), प्रथम अपीलीय प्राधिकारी  
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ. क्षे.1 मुख्यालय,  
SCO बे. संख्या 5-10, सेक्टर -16A, फरीदाबाद (हरियाणा)-121002,  
फोन न. 0129-2666301

धन्यवाद ।

भवदीय

[जी. पी. पयासी]

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना एवं अभियांत्रिकी)  
एवं पदनामित सी. पी. आई. ओ., पावरग्रिड, उ. क्षे. -1  
फोन न.0129-2666305

CIN No. L40101DL1989GOI038121

उत्तरी क्षेत्र-1 मुख्यालय, एस.सी.ओ.-बे संख्या 5 से 10, सेक्टर-16ए, फरीदाबाद, हरियाणा-121002  
Northern Region-1 Headquarters, SCO - Bay No.5 to 10, Sector-16A, Faridabad, Haryana-121002